[10/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 1088]

42. जब क्षेत्र भू–सर्वेक्षण के अधीन न हो, भू–खण्ड संख्यांकों की विरचना, विभाजन तथा समामेलन. –(1) जब कोई क्षेत्र भू–सर्वेक्षण के अधीन नहीं है तो कलक्टर, पूर्वगामी नियमों के अनुसार भू–खण्ड संख्यांकों को विन्यास (ले आउट) अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार पुनर्गठित कर सकेगा, नवीन भू–खण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा, विद्यमान भू–खण्ड संख्यांकों को विभाजित अथवा समामेलित कर सकेगा।

(2) ऐसे पुनर्गठित, विरचित, विभाजित अथवा समामेलित भू–खण्ड संख्यांकों को अनन्य (यूनिक) संख्यांक दिए जाएंगे। पश्चात्वर्ती भू–सर्वेक्षण में इन भू–खण्ड संख्यांकों को नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु पुराने भू–खण्ड संख्यांक भू–अभिलेख से काटे नहीं जाएंगे किन्तु बिना क्षेत्र के तथा नवीन भू–खण्ड संख्यांकों के प्रतिनिर्देश सहित दर्शाए जाएंगे तथा पश्चात्वर्ती भू–सर्वेक्षण के दौरान समाप्त कर दिए जाएंगे।

भाग – घ

ग्रामों तथा सेक्टरों की विरचना, समामेलन तथा विभाजन

43. ग्रामों की विरचना, समामेलन तथा विभाजन.–(1) किसी नगरेतर क्षेत्र में स्थित सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉक संख्याकों के समूह को ऐसा ग्राम विरचित करने के लिए समूहीकृत किया जाएगा, जिसमें –

(क) केवल एक ग्राम स्थल अथवा आबादी हो अथवा यदि एक से अधिक ऐसे आबादी स्थल हों जो एक दूसरे के निकट स्थित हों;

(ख) ऐसे समस्त क्षेत्र के कृषकों द्वारा जिसे कि ग्राम के रूप में गठित किया जाना है, दखलरहित भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का साझा उपयोग किया जाता हो;

(ग) ग्राम का क्षेत्रफल आठ सौ हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सिवाय तब के जब कि इसके परिणामस्वरूप किसी अन्य ग्राम का क्षेत्र अस्सी हेक्टेयर से कम हो रहा हो।

(2) दो या दो से अधिक ग्रामों को समामेलित किया जा सकेगा बशर्ते निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती हो –

(क) वे लगे हुए तथा संस्पर्शी हों;

(ख) ग्राम स्थल अथवा आबादियां लगी हुई हों अथवा केवल एक ग्राम स्थल या आबादी हो तथा अन्य वीरान ग्राम हो;

—2— आरा/2/-5-क्र-1088 दि 2/8/20

(ग) दखलरहित भूमि पर ग्राम के समस्त कृषक सामुदायिक अधिकारों का साझा उपयोग करते हों; और

(घ) समामेलन के पश्चात् विरचित नवीन ग्राम का क्षेत्रफल साधारणतया आठ सौ हेक्टेयर से अधिक न हो।

(3) किसी ग्राम को दो या अधिक ग्रामों में विभाजित किया जा सकेगा बशर्ते निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तों की पूर्ति हो जाती हो, अर्थात्:—

(क) एकल इकाई के रूप में सुविधापूर्वक प्रबंध करने की दृष्टि से विद्यमान ग्राम का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो;

(ख) अलग अलग तथा सुभिन्न इकाईयों में स्थित दखलरहित भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का उपयोग किया जा रहा हो;

(ग) किसी ऐसे विद्यमान ग्राम की दशा में जो भागतः अथवा पूर्णतः पुराने वीरान ग्रामों से मिलकर बना हो, इनमें से एक या अधिक तब से स्थिर आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित हो गए हों; और

(घ) इसी प्रकार के अन्य कारण हों:

परन्तु किसी ग्राम का इस प्रकार कोई विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसा ग्राम विरचित हो जहां निम्नलिखित में से कोई स्थिति बनती हो—

(क) अस्सी हेक्टेयर से कम क्षेत्र;

(ख) पिछली जनगणना के आधार पर दो सौ से कम जनसंख्या; अथवा

(ग) नवीन और पुराने ग्रामों की आबादियों के बीच दो किलोमीटर से कम की दूरी।

(4) इस प्रकार समामेलन अथवा विभाजन के पश्चात् नवीन विरचित प्रत्येक ग्राम के समस्त सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किए जाएंगे तथा भू-अभिलेखों के नए सेट तैयार किए जाएंगे। ऐसा समामेलन अथवा विभाजन आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी होगा।

44. सेक्टर का नगरेतर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित होना. —यदि नगरीय क्षेत्र अथवा उसके भाग का कोई सेक्टर नगरेतर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो यह एक ग्राम के रूप में विरचित होगा। ऐसे सेक्टर अथवा उसके भाग के भू-अभिलेख नवीन विरचित ग्राम के भू-अभिलेख होंगे। उपखण्ड अधिकारी धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक्